

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं. 128/23 धारा अंतर्गत 188 RTA ग्राम बारां तहसील बारां

वादी नाजिया खान वाद शीर्षक प्रतिवादी परियोजना निदेशक, आरएलआरडी, झालावाड
 गेल :- श्री बृजराज किशोर शर्मा आदेश पत्रक वकील:-

नांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.11.2023 को पेश हो।

7-11-23 गौठासीन अधिकारी *[Signature]* के
 में रहने से पूर्ववत दिनांक 8-11-24 को प्रस्तुत हो।
[Signature]
 सप खण्ड अधिकारी बारां

8-1-24 गौठासीन अधिकारी *[Signature]* के
 में रहने से पूर्ववत दिनांक 26-2-24 को प्रस्तुत हो।
[Signature]
 सप खण्ड अधिकारी बारां

26/2/24 गौठासीन अधिकारी *[Signature]* के
 में रहने से पूर्ववत दिनांक 05-3-24 को प्रस्तुत हो।
[Signature]
 सप खण्ड अधिकारी बारां

5-4-24 गौठासीन अधिकारी *[Signature]* के
 में रहने से पूर्ववत दिनांक 3-7-5-24 को प्रस्तुत हो।
[Signature]
 सप खण्ड अधिकारी बारां

27/5/24 पत्रावली पेश की गई। कौटिल्य वादी उपर। प्रतिवादीगण की तलव
 के लिये पत्रावली पेश की गई। पत्रावली वादी तलव की जांच
 11/7/24 को पेश हो।

11-7-24 पत्रावली पेश की गई। कौटिल्य वादी उपर। प्रतिवादीगण की
 तलव के लिये पत्रावली पेश की गई। पत्रावली वादी तलव की
 दिनांक 4-9-24 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

पत्रावली आज देना है। कमील कोदी एवं
 उद्दिवादी न्यायालय के उद्दिवादी। कमील कोदी
 एवं उद्दिवादी के हीन काट झावाज लडावा
 ठाँ। काव लुप सूचना के कमील कोदी एवं
 उद्दिवादी न्यायालय के उद्दिवादी। कमील कोदी
 कोदी का कोप आदम दालदी आदम पैमवी के
 कमील किया जाता है पत्रावली के फल मुआ
 हीन काट तामील के कमील के दामिल
 यफर ६।

अधिकारी

उद्दिवादी
 न्यायालय